

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

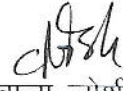
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/164/7-21

दिनांक:- सितम्बर 2013
01 अक्टूबर

कार्यालय आदेश

श्री बाबूलाल, लेखाकार (लिक नं. 4464) सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, टोंक को कार्यालय उप निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, टोंक में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।

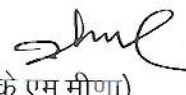

(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1) अलेसे-11/ 164/7 -21

दिनांक:- सितम्बर 2013
1 अक्टूबर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, टोंक
2. उप निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, टोंक
3. श्री बाबूलाल, लेखाकार, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, टोंक
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. व्यक्तिगत पंजिका।
7. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)